

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
 क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2024/123 दिनांक 21/05/24

:- आदेश:-

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से चयनित निम्न चिकित्सा अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की लेवल इन पे मैट्रिक एल-14 स्वीकृत की जाती है:-

S.No	Name of Doctor's	Date of Birth	Date of First Appointment	Date of Probation Complete	Date of Regular Pay Scale
1	SAPNA DANGI	03.07.1986	10.04.2023	09.04.2024	10.04.2024
2	ALKA SAINI	05.02.1994	08.03.2023	07.03.2024	08.03.2024
3	RUCHI PARIHAR	17.01.1993	25.04.2023	24.04.2024	25.04.2024
4	RAVI RAJ	08.09.1989	11.03.2023	10.03.2024	11.03.2024
5	MADHURI RATHORE	27.06.1996	10.03.2023	09.03.2024	10.03.2024
6	NEERU JHANKAL	20.09.1996	13.03.2023	12.03.2024	13.03.2024
7	SHANKAR SHARMA	03.05.1994	14.03.2023	13.03.2024	14.03.2024
8	SAROJ MEENA	17.06.1998	03.03.2023	02.03.2024	03.03.2024
9	KIRAN DEVI	10.01.1993	08.03.2023	07.03.2024	08.03.2024
10	RUKHSAR SHAIKH	24.04.1995	09.03.2023	08.03.2024	09.03.2024
11	PRADEEP VERMA	05.04.1995	14.03.2023	13.03.2024	14.03.2024
12	TANISHA GOYAL	12.01.1997	09.03.2023	08.03.2024	09.03.2024
13	VAIBHAV CHUNBHUK	07.04.1995	19.04.2023	18.04.2024	19.04.2024
14	ABHISHEK VYAS	04.09.1999	08.03.2023 A/N	08.03.2024	09.03.2024
15	HARENDRA SINGH	01.12.1996	24.04.2023	23.04.2024	24.04.2024
16	BHAGAT DAYMA	11.08.1997	15.03.2023	14.03.2024	15.03.2024

RajKaj Ref
7345879

S.No.	Name of Doctor's	Date of Birth	Date of First Appointment	Date of Probation Complete	Date of Regular Pay Scale
17	ANKIT YADAV	19.01.1999	10.03.2023	09.03.2024	10.03.2024

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2024/123

दिनांक 21/05/24

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित चिकित्सक की पत्रावली में नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करें।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7345879

2

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :21-05-2024 10:31:37